**संख्या-4/2018-496/58-2018-16/2018**

प्रेषक,

**आर0पी0 सिंह,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

**निदेशक,**
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊ:दिनांक: 16 फरवरी, 2018**

**विषय :-** **वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत नवीन योजना 2401-119-03-0312-फलपटियों के विकास की योजना के अन्तर्गत रू0-4.67 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-241/बजट/2017-18, दिनांक 11.01.2018 के संदर्भ में एवं शासन के पुनर्विनियोग सं0-आर.ई. 259/ई-1/दस-2018, दिनांक 08.02.2018 पृष्ठांकन स0-151/58-2018-16/2018, दिनांक 15.02.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-10 के उद्यान शाखा के अन्तर्गत फलपटटी कार्यक्रम एवं हर्बल गार्डेन की स्थापना कार्यक्रम के संचालन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक **2401-119-03-0312** फलपटटी के विकास की योजना में धनराशि रू0-4.67 लाख को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**अनुदान सं0-10** **(धनराशि लाख रूपये में)**

| लेखाशीर्षक | कोड सं0/मद का नाम | आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि | पुनर्विनियोग के माध्यम से अपेक्षित धनराशि | योजनान्तर्गत कुल अपेक्षित धनराशि | वर्तमान में पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0312-फलपटियों के विकास की योजना** | **27-सब्सिडी** | **1.00** | **4.67** | **5.67** | **4.67** |
| **योग** | | **1.00** | **4.67** | **5.67** | **4.67** |

**(रूपये-चार लाख सड़सठ हजार मात्र)**

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(6) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(7) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(10) यदि विभाग द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन उद्यान तथा वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तारीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(12) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान **NEFT/RTGS** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

(13) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक **2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0312-फलपटियों के विकास की योजना-27-सब्सिडी** के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- उक्त धनराशि को पुनर्विनियोग के निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप पत्र सं0-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

**(आर0पी0 सिंह)**
विशेष सचिव।

**संख्या-4/2018-496(1)/58-2018, तददिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(शकील अहमद सिद्दीकी)**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

## पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158) प्रपत्र बी0एम0-9

(धनराशि लाख रुपये में)

अनुदान संख्या व नाम-10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष-2017-18

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-जिला व मण्डीलय कार्यालय | | | | | |
| 27-सब्सिडी | 9.34 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| योग- | **9.34** | **4.67** | **4.67** | **4.67** | **4.67** |

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु अवमुक्त धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0312-फलपट्टी के विकास की योजना | | | | | |
| 27-सब्सिडी | 1.00 | 5.67 | 4.67 | 4.67 | 5.67 |
| योग- | **1.00** | **5.67** | **4.67** | **4.67** | **5.67** |

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

(1) योजनान्तर्गत व्यवस्थित धनराशि की बचत फलपट्टी विकास की नई योजना वर्ष 2017-18 से संचालित होने के कारण हो रही है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई. 259/ई-दस-2018, दिनांक 08 फरवरी, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान अनुभाग
संख्या–  /58–2018–16/2018
लखनऊः दिनांक  फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
(6) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।